भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 4023

(सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

तेलंगाना में कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत व्यय

4023. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान तेलंगाना में पंजीकृत कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यावरण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वर्षवार और क्षेत्रवार कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार तेलंगाना में किए जाने वाले सीएसआर सम्बंधी कार्यकलापों के प्रभाव की निगरानी करती है; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी निगरानी के निष्कर्ष क्या हैं और सीएसआर पहलों की पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और कंपनियों को एमसीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फ़ाइल सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इन्हें www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, तेलंगाना के वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि सीएसआर व्यय से संबंधित विकास क्षेत्र-वार डेटा संलग्न है।

(ख): कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 में सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से संबंधित प्रावधान हैं कि अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में, तत्काल के पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की औसत सीएसआर बाध्यता वाली प्रत्येक कंपनी को, एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना होगा, और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो गई हों।

जारी.../-

कंपनियों द्वारा सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है, जिसमें सीएसआर पर एक वार्षिक कार्य योजना भी शामिल है, जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है।

(ग): सरकार ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित किया है जिसमें सीएसआर पहलों की पारदर्शिता और प्रभावकारिता का प्रावधान है। मौजूदा कानूनी ढांचे में सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर समिति की बोर्ड को रिपोर्ट करने, सीएसआर नीति तैयार करने, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना और क्षेत्र की पहचान जिसमें परियोजना कार्यान्वित की जाएगी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय की लेखा परीक्षा का प्रावधान है।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा के दिनांक 18.08.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4023 के भाग (क) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक तेलंगाना में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	0.36	0.62	1.44	1.29	1.42
2.	पशु कल्याण	1.53	3.66	4.34	4.10	4.08
3.	सशस्त्र बल, भूतपूर्व सैनिक, वीरांगनाएं / आश्रित	0.31	0.02	1.47	0.06	0.68
4.	कला और संस्कृति	3.03	2.34	5.19	11.59	39.04
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1.91	1.77	10.85	27.47	15.08
6.	शिक्षा	167.16	205.59	224.86	348.58	391.43
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	11.33	16.66	38.99	52.51	46.60
8.	लैंगिक समानता	0.29	0.84	4.68	2.30	7.33
9.	स्वास्थ्य देखभाल	93.79	163.36	196.80	210.43	207.57
10.	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	12.34	22.51	13.54	16.23	22.33
11.	गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	22.78	52.24	28.60	80.45	63.69
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	43.60	51.54	59.10	81.30	109.27
13.	सुरक्षित पेयजल	5.33	3.94	9.95	14.81	8.12
14.	स्वच्छता	9.73	6.79	3.53	13.71	7.72
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	1.97	5.20	3.68	5.87	7.02
16.	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	0.48	1.57	0.42	1.26	2.28
17.	अनाथालय की स्थापना	1.75	1.60	1.82	5.51	2.86
18.	स्लम क्षेत्र विकास	23.11	51.50	35.46	58.07	0.44
19.	सामाजिक-आर्थिक समानता	0.10	1.13	1.27	1.94	5.36
20.	विशेष शिक्षा	4.02	3.35	6.67	11.15	13.08
21.	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	0.77	3.19	1.18	0.03	-
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	4.22	3.76	6.70	12.71	19.11
23.	व्यावसायिक कौशल	25.16	16.68	20.91	52.23	40.03
24.	महिला सशक्तिकरण	10.74	7.84	7.10	27.01	38.75
25.	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	-	-	-	-	1.62
कुल		**445.80**	**627.71**	**688.58**	**1,040.61**	**1,054.92**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबन्ध प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं

*****